

12-04-22

पत्रावली गैर इंडी वकील प्रार्थी द्वारा  
आदिनांक तक तलबी नहीं करवाई गयी  
है। आदिनांक तक अपेक्षा दिनांक 18/2/22  
की भी पालना नहीं हुई है अतः तलबी  
अभाव में अंतर्गत 0-9, R-5 जा. यो. के  
तहत पत्रावली रतद्वारा खारिज की जाती  
है। पत्रावली कैबल नुमा र की जाकर  
नंबर से कम होकर काबिल कप्तार हो।  
निर्णय खुले व्यायालय में सुनाया जाकर  
मेरे हस्ताक्षर व व्यायालय मुद्रा से  
जारी किया जाता है।-पह

सहायक कलक्टर

साँभर लोक

